छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 620/2008

1. श्री आर0पी0 साहू, – अपीलार्थी
मुकाम+पोस्ट–गोहरापदर, व्हाया–देवभोग,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय जनपद पंचायत–मैनपुर,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 28 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री आर0पी0 साहू द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत–मैनपुर, जिला–रायपुर के समक्ष दिनांक 22.02.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.04.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का निराकरण समयावधि में नहीं करने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.06.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और साथ ही निर्देश दिये गये थे कि संबंधित रिकार्ड का एक सप्ताह में निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और बाद में उनसे सूची लेकर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे तथा अधिक की चाहने पर नियमानुसार शुल्क लेकर दी जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रस्तुत उत्तर में दिनांक 06.06.2008 को जॉच हेतु शिक्षाकर्मी भर्ती संबंधी रिकार्ड जिला पंचायत द्वारा जब्त होना बताया गया, तब दिनांक 1.02.2009 को यह निर्देश दिये गये थे कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपनी जॉच एक माह में पूर्ण कर अंतिम कार्यवाही से आयोग एवं शिकायतकर्ता को अवगत करावे। प्रकरण में दिनांक 28.04.2009 तक जिला पंचायत की ओर से कोई उत्तर नहीं आने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के विरूद्ध पच्चीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर दिनांक 30.06.2009 के पत्र से डाक द्वारा भेजा गया तथा अतिरिक्त उत्तर दिनांक 22.08.2009 को प्रस्तुत किया गया। आयोग के निर्देशानुसार जिला पंचायत की ओर से अभिलेख का अवलोकन कराने के लिए नोटिस भेजा गया था, किन्तु अपीलार्थी पॉच व्यक्तियों को साथ लेकर अवलोकन करने के लिए गये तो उनके मौखिक अनुरोध पर एक व्यक्ति को साथ लेकर अवलोकन की अनुमति दी गई, जिस पर श्री साहू द्वारा अब अभिलेख का अवलोकन नहीं करेंगे, यह कहकर दिनांक 29.06.2009 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की सूचना छिपाने में कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है, अतः उनके दोनों उत्तर को संतोषप्रद मानकर उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अधिकांश जानकारी निःशुल्क दे दी गई है तथा अपीलार्थी ने भी यह स्वीकार किया है कि जनपद पंचायत की ओर से पूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे वे संतुष्ट है, किन्तु केवल 16 अतिरिक्त बर्खास्त शिक्षाकर्मियों के रिकार्ड का अवलोकन कराया जाना शेष है। प्रकरण में चूंकि जिला पंचायत की ओर से अंतिम सुनवाई दिनांक को जॉच पूर्ण होना बताया गया, अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब वे तत्काल समस्त रिकार्ड को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को एक सप्ताह में हस्तांतरित करें और उसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अपीलार्थी को बुलाकर 15 दिवस के अन्दर उस रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करावे और उसके बाद उनमें से जो भी जानकारी वे चाहे वह शेष जानकारी 16 शिक्षाकर्मियों के बारे में उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत जनपद पंचायत की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 500/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com